न्यायालय– रविन्द्र कुमार शिल्पी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चॉचौड़ा जिला गुना म.प्र.

[निर्णय की तारीख : 14.05.2026]
[प्रकरण संख्या 272/2025]

Filling No. RCT/523/2025
CNR No. MP0807000647/2025
Filling Date 26-05-2025

(प्र.सू.रि./अपराध क्र. 61/2025 और पुलिस थाना चॉचौड़ा जिला गुना म0प्र0)

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–चॉचौड़ा जिला गुना (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जितेन्द्र दांगी एडीपीओ
अभियुक्त	1. **कन्हैया** पिता संतोष कुमार यादव, उम्र 21 वर्ष निवासी– ग्राम छिरवाई, थाना एतमादपुर 2. **जगदीश उर्फ जग्गा** पुत्र रामनाथ निसाद, उम्र 28 वर्ष निवासी– छोटा सुरेरा मुस्तकिल , थाना एतमादपुर 3. **राकेश कुमार** पता नौरंगीलाल बघेल, उम्र 34 वर्ष निवासी–सिकतारा, थाना एतमादपुर 4. **बागेश कुमार** पुत्र श्याम सिंह बघेल उम्र 19 वर्ष निवासी–ग्राम नगला गंगाराम, थाना एतमादपुर जिला–आगरा (उत्तर प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहित श्रीमाल अधिवक्ता

अपराध की तारीख	12.02.2025
प्र.सू.रि. की तारीख	13.02.2025
आरोप–पत्र की तारीख	26.05.2025
आरोपों के विरचना की तारीख	03.06.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	17.06.2025

निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	14.05.2026
निर्णय की तारीख	14.05.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 468 बी.एन.एस. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
कन्हैया	27.03.2025	28.07.25	309(6) एवं 238 बी.एन.एस.	दोषमुक्ति	निरंक	123 दिवस
जगदीश उर्फ जग्गा	27.03.2025	28.07.25	309(6) एवं 238 बी.एन.एस.	दोषमुक्ति	निरंक	123 दिवस
राकेश कुमार	27.03.2025	28.07.25	309(6) एवं 238 बी.एन.एस.	दोषमुक्ति	निरंक	123 दिवस
बागेश	27.03.2025	28.07.25	309(6) एवं 238 बी.एन.एस.	दोषमुक्ति	निरंक	123 दिवस

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	सतीश विश्वकर्मा	सूचनाकर्ता/फरियादी
अ.सा.–2	अजीत	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.–3	विनय सेंगर	अन्य साक्षी
अ.सा.–4	आकाश मीना	अन्य साक्षी
अ.सा.–5	अजय प्रताप सिंह	पुलिस साक्षी/विवेचक

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	———	———

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा.1	———	———

घ. अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी.–1/अ.सा.–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्र.पी.–2/अ.सा.–1	घटनास्थल का नक्शा मौका
3	प्र.पी.–3 लगायत 6/ अ.सा.–1	शिनाख्तगी पंचनामा
4	प्र.पी.–7 लगायत 10/ अ.सा.–2	शिनाख्तगी पंचनामा
5	प्र.पी.–11 लगायत 14/ अ.सा.–5	गिरफतारी पत्रक
6	प्र.पी.– 15/अ.सा.–5	अभियुक्त राकेश बघेल का मेमोरेण्डम
7	प्र.पी.– 16/अ.सा.–5	अभियुक्त जगदीश का मेमोरेण्डम
8	प्र.पी.– 17/अ.सा.–5	जप्ती पंचनामा
9	प्र.पी.– 18/अ.सा.–5	अभियुक्त कन्हैया यादव का मेमोरेण्डम
10	प्र.पी.– 19/अ.सा.–5	अभियुक्त बागेश का मेमोरेण्डम
11	प्र.पी.– 20 एवं 21/अ.सा.–5	जप्ती पंचनामा
12	प्र.पी.– 22 एवं 23/अ.सा.–5	तलाशी पंचनामा
13	प्र.पी.– 24/अ.सा.–5	साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र

ख. प्रतिरक्षा

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	———	———

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	———	———

घ. आवश्यक वस्तुएं : वीडियोग्राफी की डी.व्ही.डी. आर्टिकल एम.ओ.–01

आरक्षी केन्द्र चॉचौड़ा के अपराध क्रमांक 61/2025 अंतर्गत धारा 309(6) एवं 238 बी.एन.एस. से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।

//निर्णय//

(आज दिनांक 14.05.2026 को घोषित किया गया)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 309(6) एवं 238 बी.एन.एस. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.02.2025 को समय 23:00—23:20 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र चाचौड़ा जिला गुना म.प्र. के क्षेत्राधिकार में स्थित माधव फ्यूल नायरा, पेट्रोल पंप, मोईखेजड़ा जिला गुना (म.प्र.) में फरियादी सतीश एवं आहत अजीत को स्वेच्छया उपहति कारित कर उनसे करीब 70 हजार रूपये एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की डी.व्ही.आर. को छीनकर लूट कारित की एवं चोरी के अपराध में साक्ष्य के विलोपन करने के आशय से सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की डी.व्ही.आर. को विलोप किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.02.2025 को रात्रि 11:00 बजे फरियादी सतीश विश्वकर्मा उसके साथ पेट्रोल पंप का काम करने वाले अजीत मीना मोईखेजड़ा के पेट्रोल पंप के केविन में बैठे थे तभी एक सफेद रंग की शिफ्ट डिजायर कार पेट्रोल पंप के सामने रूकी जिसमें से कुछ लोग उतरकर आये और एक लड़का जिसने काला पैंट तथा मुंह पर मास्क लगाया था, उसने पूछा कि टॉयलेट किधर है तो उसे टॉयलेट का रास्ता बताया। उसके साथ बताये व्यक्तियों के साथ वह पीछे चला गया और 05 मिनिट बाद उनमें से

02 लड़के केविन में आये और फरियादी सतीश विश्वकर्मा एवं अजीत मीना के साथ थप्पड़ों से मारपीट कर पूछने लगे कि पैसा कहां पर है तभी उनके 02 साथी और आ गये और एक लड़के ने लॉकर को तोड़कर उसमें रखे रूपये निकालकर जेब में भर लिये। फिर उन्होंने सी.सी.टी.व्ही कैमरे की डीव्हीआर का पूछा केविन में रखी डीव्हीआर को वो निकालकर ले गये और हमारे मोबाईल भी छुडा लिए और बाहर जाकर पेट्रोल पंप के पास ही मोबाईल को फैंक दिया। सभी चारों लड़के जिनकी उम्र 20–25 वर्ष रही होगी गुना की तरफ अपनी कार से भाग गये और बोलचाल से ऐसा लग रहा था कि वे ब्यावरा के आसपास के व्यक्ति हैं। तब फरियादी द्वारा अपने मैनेजर को घटना की सूचना दी। हिसाब देखने पर करीबन 70 हजार रूपये और डीव्हीआर की लूट होना पाई गई। घटना की रिपोर्ट थाना चांचौडा में लिखाई गई। पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 61/2025 पर अंतर्गत धारा 309 (6) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3– अभियुक्तगण ने अपने अभिवाक में आरोपित अपराध कारित किया जाना अस्वीकार किया है एवं विचारण चाहा। अभियुक्तगण ने अभियुक्त परीक्षण के दौरान निर्दोष होना बताया गया। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दी।

4– प्रकरण में विचारणीय बिंदु निम्नानुसार है–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.02.2025 को समय 23:00–23:20 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र चाचौड़ा जिला गुना म.प्र. के क्षेत्राधिकार में स्थित माधव फ्यूल नायरा, पेट्रोल पंप, मोईखेजड़ा जिला गुना (म.प्र.) में फरियादी सतीश एवं आहत अजीत को स्वेच्छया उपहति कारित कर उनसे करीब 70 हजार रूपये एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की डी. व्ही.आर. को छीनकर लूट कारित की?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर चोरी के अपराध में साक्ष्य के विलोपन करने के आशय से सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की डी.व्ही.आर. को नष्ट कर साक्ष्य का विलोपन किया?

3. दोषसिद्धी एवं दण्डादेश यदि कोई हो ?

विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 की विवेचना एवं निष्कर्ष

5– 1 एवं 2 विचारणीय प्रश्नों पर एक साथ साक्ष्य आने से तथा साक्ष्य की पुनरावृति को निवारित करने के उद्देश्य से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— साक्षी सतीश विश्वकर्मा (अ.सा.1) एवं अजीत मीना (अ.सा.2) ने सारतः अपने कथनों में बताया है कि वह हाजिर अदालत अभियुक्तगण को नहीं जानते है। घटना दिनांक 12.02.2025 की रात्रि 11:00 बजे की है। घटना दिनांक को वे पेट्रोल पंप के ऑफिस में बैठे थे, तभी सफेद रंग की शिफ्ट डिजायर गाड़ी आई और उसमें से 7—8 लोग आये जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था जिन्होंने उनके साथ हाथापाई की और उनसे 70 हजार रूपये लूट कर ले गये। उक्त लोगों ने उनके मोबाईल छीन लिए और पेट्रोल पंप पर लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की डी.व्ही.आर. ले गये उनके मोबाईल पेट्रोल पंप के बाहर फैंक गये। उन्होंने उक्त घटना की सूचना उनके मैनेजर आकाश को दी थी। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 थाना चांचोडा में की थी। पुलिस ने मौके पर आकर घटना स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 2 तैयार किया था। शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी 3 लगायत 6 के ए से ए भाग पर सतीश के एवं 7 लगायत 10 के ए से ए भाग पर अजीत के हस्ताक्षर हैं।

7— साक्षी विनय सेंगर (अ.सा.3) ने सारतः अपने कथनों में बताया है कि उसका मेरियाखेड़ा गांव के पास एन.एच. 46 माधव फ्यूल नाम से नायरा का पेट्रोल पंप है। जिसका मैनेजर आकाश मीना है। दिनांक 12.02.2026 को रात में करीब 11—12 बजे आकाश का फोन आया ओर उसने उसे फोन पर बताया कि पेट्रोल पंप पर सेल्समेन अजीत मीना और सतीश विश्वकर्मा के साथ कुछ बदमाशों ने लूट और मारपीट की है। फिर वह पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो उसे अजीत और सतीश ने बताया कि एक कार से चार लोग उतर कर आये थे जिन्होंने केविन में घुसकर उनपर पर हमला कर दिया और मारपीट कर लॉकर में रखे रूपये निकाल ले गये और सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की डी.व्ही.आर. भी उखाड़ कर ले गये।

8— साक्षी आकाश मीना (अ.सा.4) ने सारतः अपने कथनों में बताया है कि वह मोरियाखेड़ा गांव के पास एन.एच. 46 माधव फ्यूल नाम से नायरा पेट्रोप पंप पर मैनेजर है। दिनांक 12.02.2025 को रात में करीब 11—12 बजे सतीश विश्वकर्मा का फोन आया और उसने उसे बताया कि पेट्रोल पंप पर एक कार से चार लोग उतरकर आये थे उन्होंने केविन में घुसकर उनपर हमला कर दिया और मारपीट कर लॉकर में रखे रूपये निकाल ले गये और सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की डी.व्ही.आर. भी उखाड़ कर ले गये। फिर उसने यह बात उनके सेठजी विनय सेंगर को बताई थी।

9— साक्षी उप निरीक्षक अजय प्रताप सिंह (अ.सा.5) ने सारतः अपने कथनों में यह बताया है कि उसे थाना चाचौडा के अपराध क्रमांक 61/2025 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। दिनांक 20.02.2025 को थाना टोंक खुर्द

की चौकी टोंक कला से प्राप्त पत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। जिसके मेमोरेण्डम में बीनागंज पेट्रोल पंप पर लूट करने की स्वीकारोक्ति अभियुक्तगण द्वारा की गई थी। अभियुक्तगण को न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर गिरफतार किया गया था उसके पश्चात उनसे पूछताछ की गई थी जिसमें अभियुक्त रोकश ने लूट किये मोबाईल घटना स्थल पर ही फैंकना एवं डीव्हीडी को अभियुक्त जग्गा द्वारा नदी में फैंकना बताया और लूट के पैसों से किस्त भरना बताया है। अभियुक्त जगदीश उर्फ जग्गा से 2500/– रूपये उसके खेत की मचान के पत्थर के नीचे से जप्त होना बताया है एवं बागेश से 2700/– रूपये जो उसके द्वारा जगदीश के खेत के मचान के नीचे से जप्त होना बताया है। अभियुक्तगण की शिनाख्तगी की कार्यवाही हेतु तहसीलदार चाचौडा को पत्र लिखा गया था तथा शिनाख्तगी की कार्यवाही करवाई थी तथा साक्षी सतीश, अजीत, विनय, कार्तिकेय, आकाश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

10– उभयपक्ष के तर्क के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा घटना के सुसंगत समय बीनागंज के पेट्रोल पंप पर फरियादी सतीश एवं अजीत के साथ मारपीट कर उनसे लूट कारित की गई। जिसके संबंध में साक्षी सतीश एवं अजीत द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार करते हुये घटना के संबंध में यह तथ्य बताये हैं कि घटना के सुसंगत समय एक सफेद रंग की शिफ्ट डिजायर कार आई जिसमें 7–8 लोग आये थे और जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उन्होंने 70 हजार रूपये लूट कारित की थी। अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य में साक्षियों द्वारा घटना कारित होना अवश्य बताया है परन्तु हाजिर अदालत अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित न करना बताया है। उनके द्वारा अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार कर दिया है। साक्षीगण सतीश एवं अजीत घटना के चक्षुदर्शी व आहत साक्षी हैं। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित न करने के संबंध में कथन किये हैं तथा अपने प्रतिपरीक्षण में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्तगण को पूर्व में कभी नहीं देखा है। साक्षियों द्वारा शिनाख्तगी की कार्यवाही से भी इंकार किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा सही अभियुक्तों को गिरफतार किया गया है न ही उनका पैसा जप्त किया गया है। यद्यपि अभियोजन की ओर से अनुसंधान अधिकारी अजय प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्तगण जगदीश एवं बागेश के आधिपत्य से 5,200/– की राशि जप्त होना बताई गई है परन्तु नगद राशि के संबंध में कोई पहचान कार्यवाही न करवाये जाने का तथ्य को अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया

है। इसके अतिरिक्त नोटों की कोई विशिष्ट पहचान न होने से किसी व्यक्ति के पास जप्तशुदा राशि के समान राशि उपलब्ध होना सामान्य तथ्य है। जिसके संबंध में किसी व्यक्ति विशेष की होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित न करते हुये बल्कि किन्ही अन्य व्यक्तियों द्वारा कारित की गई है। इस प्रकार साक्षियों के कथनों से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का जो तथ्य वह संदेहास्पद हो जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य का विलोपन करने का तथ्य भी संदेहास्पद हो जाता है। अतः अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा घटना के सुसंगत समय आहत सतीश एवं अजीत को स्वेच्छया उपहति कारित कर लूट कारित करने का अपराध संदेहासप्द दर्शित होता है तथा साक्ष्य का विलोपन भी संदेहास्पद प्रकट होता है जिससे विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 के तत्वों की पूर्ति नहीं होती है।

विचारणीय बिंदु क्रमांक 3 दोषसिद्धी एवं दण्डादेश

11— साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण कन्हैया, जगदीश उर्फ जग्गा, राकेश कुमार एवं बागेश को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए धारा 309(6) एवं 238 बी.एन.एस. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में बी.एन.एस.एस. की धारा 468 के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग रहेगा।

13— प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति थाना टोंक खुर्द के दस्तावेज अभिलेख के भाग हैं तथा अभियुक्त जगदीश एवं बागेश से जप्त 5,200/— रूपये के संबधं में न तो अभियुक्तगण द्वारा दावा किया गया है और न ही फरियादीगण द्वारा दावा किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में उक्त राशि को राजसात कर कोषालय में जमा किया जावे।

14— अभियुक्तगण के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे निर्देशन पर टंकित।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

रविन्द्र कुमार शिल्पी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चॉचौड़ा जिला गुना (म.प्र.)

RAVINDRA KUMAR SHILPI
Digitally signed by RAVINDRA KUMAR SHILPI
Date: 2026.05.14 17:05:58 +0530

रविन्द्र कुमार शिल्पी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चॉचौड़ा जिला गुना (म.प्र.)